राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018 दूरभाष नं. 0141--2722520

क्रमांकः प.14(9)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कनि.अभि.(अनु.क्षेत्र)/2015/ 144-151 **दिनांक :** 04-06-2015

विज्ञापन सं.3

कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) (अनुसूचित क्षेत्र) सीधी भर्ती परीक्षा–2015

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 एवं कृषि विभाग के अधीन जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के लिए राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (कृषि) अनुसूचित क्षेत्र के 33 पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे **ऑनलाइन आवेदन पत्र** (On Line Application Form) **आमंत्रित किये जाते हैं।**

विशेष नोटः–

1. **अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेगें।**
2. On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण **आवेदन सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा।**
3. आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार नवीनतम के निर्देशों एव नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1– **आवेदन प्रकियाः–** आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये **30/– (रूपये 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है तो, वह ई–मित्र या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर चयन बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से स्वयं आवेदन पत्र भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रूपये 10/– ही सेवा शुल्क देना होगा। आवेदक ई–मित्र पर परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त कियोस्क से भुगतान रसीद अवश्य प्राप्त करें (रसीद पर 16 अंक का टोकन नम्बर अंकित होगा)। **हाथ से भरे आवेदन–पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

नोटः– 1. आवेदक ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

2. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टिया सही–सही भरी गई है।
3. **अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नही हुआ है। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।**
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञापन का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। विज्ञापन में दिये गये निर्देशो को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

2. परीक्षा शुल्कः– आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.)** के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

(क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 350/–**

(ख) नॉन क्रीमलेयर श्रेणी के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक हेतु – **रूपये 250/–**

(ग) निःशक्तजन तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु परीक्षा शुल्क **रूपये 150/–** होगा।

नोटः– 1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क **रूपये 30/– (रू 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + **रूपये 10/–** परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप मे ई–मित्र को देने होंगे।

2.परीक्षा शुल्क का अन्य बैंकों के **नेट बैकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व केडिट कार्ड** के माध्यम से जमा कराने हेतु **ई–मित्र पार्टल http:/www.emitra.gov.in** पर आवश्यक कॉलम की पूर्ति करने के उपरान्त वहा से टोकन नम्बर प्राप्त कर बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन फार्म भर सकता है।

3. आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समस्त **ई–मित्र कियोस्क** तथा **जन सुविधा केन्द्र (C.S.C)** की सूची बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

3. प्रवेश पत्रः—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बेवसाइट के माध्यम से ही आनॅलाइन प्रवेश–पत्र जारी किये जाएगे और चयन बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बेव–साइट पर प्रवेश–पत्र जारी किये जाने की सूचना की तिथि निर्धारित होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं बेवसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र बेवसाइट से प्राप्त करने हेतु **आवेदन पत्र कमांक** एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) पर फीस जमा कराने का **टोकन नम्बर** ध्यान मे रखे। उपलब्ध संसाधनो एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. कनिष्ठ अभियन्ता विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैः–

कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				क्षैतिज आरक्षण				
													निःशक्तजन			भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	B/LV	HI	LD/CP		
33	13	04	01	–	01	–	–	–	10	03	01	–	01	–	–	04	–

नोटः–

1. महिला, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
2. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित **पदों की संख्या में कमी या बढोतरी** की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नही किया जायेगा।
3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16.06.2013 के अनुसार की जायेगी।
4. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नही है, वहां पर राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम–1978 के प्रावधान लागू होगें।
5. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है। **राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का विवरण बोर्ड की वेबसाइट में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में उपलब्ध है।**

विशेष सूचनाः–

1. **राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 के नियम 8 (5) के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित क्षेत्र के अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।**

   परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।

   परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रकिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्यिों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।
2. **महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।**
   स्पष्टीकरणः– किसी वर्ग(अनारक्षित पद(सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एव उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
3. **महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त**

विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

4. **कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.03.2014 के अनुसार सामान्य पदों के विरूद्व चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति) के केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने आयु एवं शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।**

5. **निः शक्त व्यक्तियों के लिये :–**

a. राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)नियम 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :–

1. B/LV (blind /low vision)
2. HI (Hearing Impairment)
3. LD/CP (Locomotor Diability & Cerebral Palsy)

   O.L.- One Leg affected (R or L)

   (a) Impaired reach (b) Weakness of grips (c) at axic

   B.L.- Both legs affected but not arms.

   OA- One arm

b. निःशक्तजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का राजस्थान निःशक्तजन नियोजन नियम–2000 के अनुसार भरा जावेगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के नियम 5(4) के अनुरूप उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता तो वहाँ ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. निःशक्तजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

e. ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते है, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड (राजस्थान सरकार के नियमानुसार गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड) द्वारा प्रदत्त स्थाई निःशक्त प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निः शक्तता का होने पर ही अभ्यर्थी को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

6. **भूतपूर्व सैनिकों हेतुः–** भूतपर्व सैनिको को आरक्षण **राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो के अनुसार दिया गया है।** भूतपूर्व सैनिक के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिको की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जा सकेगा और रिक्तिया अग्रनीत नहीं की जायेगी।

नोटः–

भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें उच्चतम आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

7. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु :– उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।** इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रकिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान :– कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए–।।/84 दिनांक 15–03–2013 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार ''उत्कृष्ट खिलाड़ियों' ' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं, राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

यहाँ ध्यान दें कि यदि किसी अभ्यर्थी ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य सहित गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की तो बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

5. वेतनमानः– **कनिष्ठ अभियन्ता पद का वेतनमान रनिंग पे बेण्ड (9300–34800 रू) ग्रेड पे रू 3600/– (12) , मासिक नियत पारिश्रामिक नियमानुसार।**

1. ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्त होगा, की नियुक्ति दो वर्ष के परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नही होगें। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखंला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यताः–

1. भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक।
2. देवनागरी लिपी में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

आवश्यक नोटः– परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती हेतु नियमों या अनुसूचियों में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिणिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका/चुकी है या उपस्थित हो रहा/रही है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे,–

1. जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;
2. जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व; और
3. जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व;

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण :– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेगें, जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होगें एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले है।

7. राष्ट्रीयता :– सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह –

(क) भारत का नागरिक हो और राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर वास्तविक अधिवास हो या

(ख) नेपाल का प्रजानन हो, या भूटान का प्रजाजन हो, जो अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हो, या

(ग) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1–1–62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये है तथा अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी है या

(घ) भारतीय मूल का व्यक्ति है जो स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार), जाम्विया, मलावाई, जैर तथा इथोपिया से भारत आया है तथा अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी है।

नोटः– वर्ग (ख),(ग) एवं (घ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आयुः– आवेदक 1, जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 37 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6/कार्मिक/क–II/2008 दिनांक 23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार " जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नही दी जावेगी।"

स्पष्टीकरणः– विभाग द्वारा वर्ष 1998 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनके आयु सीमा की गणना 01.01.1999 को की गई थी। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देय होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगीः–

1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :–
   (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
   (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।
2. उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
3. अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
4. कैडेट अनुदेशको के मामले मे उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
5. राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगमों के कार्यकलापों के सबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
   स्पष्टीकरणः– यदि कोई संस्थाई राज्य कर्मचारी अभ्यर्थी, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राजकीय उपक्रम/निगम/मण्डल कर्मचारी नियमानुसार छूट प्राप्त करने के उपरान्त भी 40 वर्ष की आयु से पूर्व Overage (निश्चित आयु से अधिक) हो रहा है, तो वह कर्मचारी के रूप में प्राप्त छूट का उपयोग करते हुए 40 वर्ष की आयु तक आवेदन करने का पात्र होगा किंतु राज्य कर्मचारी को मिलने वाली आयु की छूट के बिना भी यदि कोई अभ्यर्थी 40 वर्ष से अधिक होने के बावजूद नियमानुसार पात्र पाया जाता है, तो वह राज्य कर्मचारी होने के आधार पर अपात्र नहीं माना जावेगा। साथ ही यदि किसी पद की भर्ती में कुछ वर्षो का अन्तराल (GAP) हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिवर्ष के अंतराल के लिए एक वर्ष की (अधिकतम 3 वर्ष की) ऊपरी आयु सीमा में छूट राज्य कर्मचारियों को भी, अन्य अभ्यर्थियों की भांति, नियमानुसार देय है।
6. रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।
7. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें 2 अवसर दिये जावेंगे।
8. कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा, और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
9. रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे, तो सेवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।
10. सन् 1971 मे हुए भारत पाक युद्व के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

11. विधवाओं और विवाह–विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।

स्पष्टीकरण:– विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

12. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान निःशक्तजन व्यक्तियों का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्णभागीदारी) नियोजन नियम 2011 के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुये उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट देयः–
   1. सामान्य वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
   2. अ0जा0 / अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

नोटः–

(क) रिजर्विष्ट / संस्थाई आवेदक को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट / संस्थाई की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी ओर आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा।

(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम–2014 एवं राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम–1978 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) उपरोक्त पैरा 8 के प्रावधान संख्या 1 से 12 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 12 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(घ) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

9. पेंशनः–

नये भर्ती / नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. वैवाहिक स्थिति :–

ऑनलाइन आवेदन में आवेदक अपनी वैवाहिक स्थिति का निर्धारित कॉलम में स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदक के विवाहित होने की सूरत में विस्तृत आवेदन पत्र में पति / पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नही होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

11. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि –

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से **दिनांक 08.06.2015 से 07.07.2015** को रात्रि 12 बजे (ई–मित्र एवं जन सुविधा केन्द्र पर रात्रि 8 बजे) तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 08.06.2015 से 08.07.2015** को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते है (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाऐगा)। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन लाईन आवेदन करे।

12. परीक्षा का माह एवं दिनांकः– परीक्षा संभवतया माह **सितम्बर/अक्टूबर 2015** में बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। परीक्षा तिथि एवं समय की सूचना बोर्ड की बेवसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। परीक्षा दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है।

13. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :– सभी अभ्यर्थी चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हो, उन्हे अपने नियोक्ता का इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये। यदि नियोक्ता द्वारा बोर्ड को अभ्यर्थी द्वारा सूचना / अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने को सूचित किया जाता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता तुंरत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

14. नियुक्ति की अयोग्यताः–

1. किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो, कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।

2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा,

   परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती है।

   परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहां बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जावेगा।

   परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पुर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नही की जावेगी।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनाक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनाक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित पुरूष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है।
6. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे अभ्यर्थी जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

15. आवेदन कैसे करेः–

अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान देः–

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देशों के साथ–साथ, संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
4. बोर्ड द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑन लाइन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
5. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

विशेष टिप्पणीः–

1. **परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात, 72 घंटे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर में प्रस्तुत कर दे। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर चयन बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर चयन बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।**
2. **कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक पेन, पेन्सिल, प्रवेश–पत्र या बोर्ड द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकते है।**

०४

यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में से किसी की भी नहीं होगी।

3. **जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशो का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।**

<u>नोटः</u>–

1. आवेदक जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगें, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश–पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन–पत्र में की गयी प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही और ठीक मान ली गई है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथव मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि की अन्य शर्तो के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
2. अभ्यर्थी राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
3. बोर्ड द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक का अनुमोदन नहीं किया गया है।

16. <u>श्रुत लेखन की सुविधाः</u>– सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वंय अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)नियम 2011 में वर्णित ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है, उसे बोर्ड कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र पर वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुत लेखक (SCRIBE) की नियुक्ति हेतु परीक्षा निर्देशिका का अध्ययन करें।

17. <u>प्रमाण–पत्रों का सत्यापनः</u>– आवेदक को वर्ग विशेष(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण–पत्र परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर <u>यथासमय भेजना आवश्यक है</u>। अतः सुनिश्चित कर लें किः–

1. जाति प्रमाण –पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष योग्यजन का प्रमाण–पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण–पत्र पर विचार नही किया जाएगा।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण–पत्र विस्तृत आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
4. आवेदक अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष योग्यजन, महिला, उत्कृष्ट खिलाडी, भूतपूर्व सैनिक आदि सभी श्रेणियों के आवेदको को अपनी श्रेणी के साथ–साथ अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अर्थात् उक्त श्रेणी के वे ही अभ्यर्थी उक्त पदों के लिये आवेदन कर सकेंगे जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी है।
5. विशेष योग्यजन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र जिसमें विशेष योग्यजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि On line Application Form की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

18. <u>अनुचित साधनों की रोकथामः</u>– परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

19. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम :–

Paper	Duration	Maximum marks
Part A:- Agricultural Engineering Part B:- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan)	3 Hours	300 Marks

Note:-1- The paper will be of Graduation level in Agriculture Engineering.
2- There shall be Negative marking for each wrong answer. 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.
3- Paper will be objective type.

Syllabus

PART-A

Soil and Water Conservation:- Precipitation, hydrologic cycle, runoff measum prediction of peak rate of runoff, factors affecting runoff, hydrograph, Erosion-type factors associated with erosion, assessment of actual annual soil loss by erosion a impact on agricultural production and productivity. Water erosion control measures, vegetation in soil and water conservation, grass waterways and design. Design of control measures including permanent structures, stream bank erosion, mechanics of and water erosion, wind erosion control, water harvesting structures i.e. Farm Ponds, Tanka, Nadi and Anicut. Watershed: definition, concept and objectives, water management. Surveying instruments and their uses in watershed planning and executions.

Irrigation:- Soil-Water-Plant relationship, water requirements of different crops irrigation scheduling, measurement of irrigation water. Water conveyance and control, data of field channels. Design of irrigation methods, irrigation efficiencies. Drainage: Benefits drainage, surface drainage, drainage of flat and slopping lands. Design and layout of surface and sub surface drainage, depth and spacing of drains, installation of drains and drains walls, Types of aquifer, well log, groundwater prospects and water lifting devices. Water Resources Development and Management: water resources of India, surface water groundwater, development of irrigation potential, canal irrigation, command development, on farm development works.

Farm Power and Machinery:- Primary and secondary tillage machinery, their select operation, field capacity and efficiency. Machinery for sowing and intercultural operations. Power operated grains harvesting and threshing machinery, Farm tractors, introduction different systems of tractors and their maintenance.

Agricultural Processing :- Mass and energy balance in food engineering, size reduction material handling and separation equipments. Principles of drying and drying equipments. Use of Psychrometric chart. Processing of milk, dairy equipments. Storage of grains a principles of food preservation. Rice and Pulse milling.

Renewable Energy Sources:- Energy consumption pattern and energy resources, non conventional energy sources viz, solar thermal, solar photovoltaic, bio-energy resources and utilization, selection of biogas plant (site size and type), Improved biomass cookstoves, wing energy, present status and potential of renewable energy sources in Rajasthan state.

PART-B

General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan)

20. बोर्ड की वेबसाइट:– अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141–2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर–302018 को सम्बोधित किया जायेगा।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव

क्रमांकः प.14(9)RSMSSB/अर्थना/कृषि/कनि.अभि.(अनु.क्षेत्र.)/2015/144-151 दिनांक : 04.06.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को बोर्ड का विज्ञापन संख्या 1 **प.14(9)RSMSSB/अर्थना/कनि.अभि.(अनु.क्षेत्र.)/2015** दिनांक 04.06.2015 की प्रतियां प्रेषित करते हुए विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के आगामी अंक में केवल एक बार प्रकाशित कराने तथा संक्षिप्त विज्ञापन निम्नलिखित दैनिक समाचार पत्रों में केवल एक बार प्रकाशनार्थ हेतु भेजा जाता है :–
   1. राजस्थान पत्रिका (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
   2. दैनिक भास्कर (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
   3. दैनिक नवज्योति (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
   4. राष्ट्रदूत (राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में प्रकाशनार्थ)
   5. इसके अलावा ई.टी.वी. राजस्थान जयपुर को निः शुल्क प्रसारण हेतु।

   उक्त समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबन्धकों से भी कृपया अनुरोध है कि बोर्ड का विज्ञापन नवीनतम दैनिक संस्करण में हर हालात में प्रकाशित करें। साथ ही उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि प्रकाशित विज्ञापन कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) निम्नलिखित पते पर सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।
   विशेषाधिकारी , विज्ञापन अनुभाग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, कृषि एवं उद्यान को संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) के पत्र क्रमांक प.1(1)(जी–36) आ.कृ/ग्रुप–7/181 दिनांक 26.02.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
4. उप शासन सचिव वित (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विज्ञापन (केवल एक बार) राजस्थान राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
6. पंजीयक, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज कॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड (आर.आई.एस.एल) प्रथम तल सी ब्लॉक, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर–302005 से अनुरोध है कि विस्तृत विज्ञापन को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करें।

(सांवर मल वर्मा)
सचिव